संख्या- 130 /2018/3178 /89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-21(पी)/2013टीसी

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर,2018

विषय- स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत स्थापित रा0औ0प्र0सं0,**शाहबाद-रामपुर** के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-2757/तीन/वि-4-/एस0सी0पी0/2004-05/शाहबाद/2006(8) दिनांक 31-012018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्थापित किये गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **शाहबाद-रामपुर** के भवन निर्माण हेतु सामान्य मृदा के लिए शासनादेश संख्या-1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010, दिनांक 29-03-2013 द्वारा निर्धारित एवं शासनादेश संख्या-46/2015/171/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2015-5(पी)/2010, दिनांक 11-03-2015 द्वारा पुनरीक्षित मानकीकृत लागत रूपये 627.51 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 250.00 लाख की स्वीकृति की जा चुकी है का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गये पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष मूल्यांकित लागत रूपये 667.81लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए मूल्यांकित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 417.81लाख में से रू0 200.00 लाख (रूपये दों करोड मात्र) की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 29-03-2013 एवं 11-3-2015 में उल्लिखित शर्तो के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत वाहय विदयुत संयोजन हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसे प्रभाग द्वारा यथावत अनुमन्य किया गया है, जो विद्यु विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के आधार पर देय होगी।

(2) प्रायोजना में वर्क डन के कार्यो हेतु सर्विस टैक्स की प्रस्तावित धनराशि को यथावत अनुमन्य किया गया है। वर्क टू बी डन के कार्यो हेतु जी0एस0टी0 की वास्विक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: प्रभाग से परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- कार्यो के आकार में वृद्धि, उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है !

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05-

2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो के अवशेष निर्माण कार्य -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह शासन व वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11- 1177 /दस-2018, दिनांक 10 अक्टूबर,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या-3178 (1)/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबादा
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबादा
3- सम्बंधित जिलाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊा
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- सम्बंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(द्वारा निदेशक)
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश,125,जवाहर, भवन,लखनऊा
9- बजट प्रकोष्ठ , समाज कल्याण विभागा
10- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभागा
11- गार्ड फाईला

आज्ञा से,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।